Need to enact the Provisions of the Municipalities (Extension to the Scheduled Areas) Bill, 2001.-laid

श्री राजकुमार रोत **(**बा˙ सवा ड़ ा **) :** मैं सरकार का ध्यान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZC(1) तथा अनुच्छेद 244(1) व (2) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जिनके अनुसार पाँचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में राज्यपाल की अनुशंसा अथवा संसद द्वारा विशेष कानून बनाए बिना नगर निकायों का गठन नहीं किया जा सकता । यह व्यवस्था आदिवासी समुदाय की भूमि, संस्कृति एवं स्वशासन के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी । इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप वर्ष 2001 में नगरपालिका (अनु सू चि त क्षेत्रों में विस्तार) वि धे यक, 2001 (MESA) प्रस्तुत किया गया था, जिसे वर्ष 2003 में संबंधित स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया, किंतु आज तक यह विधेयक संसद से पारित नहीं हो सका है । वर्ष 2020 में पाँचवीं अनुसूची वाले राज्यों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं, परंतु झारखंड एवं महाराष्ट्र से उत्तर लंबित रहने के कारण प्रक्रिया ठप पड़ी है । MESA कानून के अभाव में कई राज्यों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकायों का गठन किया जा रहा है, जो अनुच्छेद 243ZC(1) के प्रतिकूल है, जिससे आदिवासी परिवारों की परंपरागत भूमि पर अधिग्रहण एवं अतिक्रमण बढ़ रहा है ।